न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0: 03/2019 तारीख रजू:—01.02.2019

जीसीएमएस नंबर:—2019/00111

पीठासीन अधिकारी :—जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. मुकेश पुत्र श्योजीनाथ जाति नाथ
2. बत्तीलाल पुत्र श्योजीनाथ जाति नाथ
3. भरतलाल पुत्र श्योजीनाथ जाति नाथ
4. मोसमी पुत्री श्योजीनाथ जाति नाथ
5. नारंगी पुत्री श्योजीनाथ जाति नाथ
6. जलेबी पुत्री श्योजीनाथ जाति नाथ
7. रूकमणी पत्नि स्व0 श्योजीनाथ जाति नाथ
   निवासीयान झोपड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

—वादीगण

बनाम

1. महावीर पुत्र मीठालाल नाबालिग जरिये माता मौसमी पत्नि मीठालाल मीना
2. मंजू पुत्री मीठालाल मीना
3. मोसमी पत्नि स्व0 मीठालाल मीना
4. तुलसीराम पुत्र मोहनलाल मीना
5. जैराम पुत्र मोती मीना
6. सीताराम पुत्र मोहनलाल मीना
   समस्त निवासीयान झोपड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
7. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा सवाई माधोपुर जरिये शाखा प्रबंधक सवाई माधोपुर।
8. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा चौथ का बरवाड़ा जरिये शाखा प्रबंधक चौथ का बरवाड़ा।
9. सरकार जरिये तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित:—

वकील वादीगण:— श्री अब्दुल वहाब, एडवोकेट

वकील प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7:— स्वयं उपस्थित

दावा बाबत् इस्तकरारहक एवं स्थाई निषेधाज्ञा इन्द्राज दुरूस्ती, अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 आर0टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक:— 29.12.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.30 12:35:05 IST
Reason: SelfAttested

—: निर्णय :—

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि—

❖ वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 एक ही ग्राम झोपड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा के रहने वाले काश्तकार पेशी व्यक्ति है।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

❖ वादीगण 1 लगायत 6 के पिता व वादिया नं0 7 के पति श्योजीनाथ पुत्र मिश्रीनाथ जाति नाथ निवासी झोपड़ा ने भंवरसिंह, प्रहलाद सिंह, किशनसिंह, हरिसिंह पिसरान केसर सिंह जाति राजपूत निवासी झरकूण्ड (नाहरी खुर्द) की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नम्बर 38 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम झरकुण्ड (नाहरी खुर्द) दिनांक 11.06.1980 को 1500/– एक हजार पाँच सौ रू० में खरीद की जिसका एक विक्रय पत्र तहरीर व तकमील किया जाकर उसी दिन दिनांक 11.06.80 को सब रजिस्ट्रार सवाई माधोपुर के यहां रजिस्टर्ड हुआ और उक्त रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर वादीगण के पूर्वज श्योजीनाथ के नाम नामान्तकरण संख्या 321 तस्दीक होकर जमबांदी सम्वत 2042 से 2045 में अंकन हो गया। उक्त रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर जब तक श्योजीनाथ जीवित रहे तब तक उन्होने व उनकी मृत्यु पश्चात वादीगण उक्त भूमि पर निरन्तर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।

❖ वादीगण की उक्त भूमि खरीद करने के पश्चात तहसील चौथ का बरवाड़ा में भू–प्रबन्ध विभाग का कार्य प्रारम्भ हुआ तब वादीगण की उक्त खरीद शुदा भूमि साबिक खसरा नम्बर 38 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 151 रकबा 0.67 है० बनाये जाकर नवीन राजस्व रिकार्ड जारी किया गया।

❖ सेटिलमेन्ट विभाग वालो ने जमबांदी सम्वत 2042 से 2045 के बाद जब नवीन राजस्व रिकार्ड जारी कर सम्वत 2057 की जमाबंदी जारी की तब सेटिलमेंट विभाग वालो ने नामान्तकरण संख्या 321 का नवीन राजस्व में अंकन नहीं कर साबिक खसरा नम्बर 38 के बने नवीन खसरा नम्बर 151 का प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 के पिता व प्रतिवादीमा नं0 4 के पति मीठालाल तथा बदराम व प्रतिवादी नं0 6 के नाम अंकन कर दिया जबकि प्रतिवादीगण का वादीगण की उक्त भूमि में कोई ताल्लुक या वास्ता नहीं रहा है लेकिन सेटिलमेन्ट विभाग वालो की गलती से गलत अंकन हो गया।

❖ प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 बहुत ही चालाक किस्म के व्यक्ति है। जिन्होने अपने नाम गलत एवं निराधार तरीके से हुऐ खातेदारी इन्द्राजात का नाजाइज फायदा उठाकर वादीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की उक्त भूमि नवीन खसरा नम्बर 151 रकबा 0.67 है० को प्रतिवादी नं० 8 व 9 के यहां रहन रख दी जबकि प्रतिवादीगण को वादीगण की भूमि को रहन रखने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.30 12:35:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

❖ वादीगण ग्रामीण परिवेश के रहने वाले एवं अनपढ व्यक्ति है। जिनको जानकारी नहीं हुई कि वादीगण की उक्त भूमि सेटिलमेन्ट विभाग वालो की गलती से प्रतिवादीगण के नाम अंकित हो गई है लेकिन वादीगण जब दिनांक 10.11.2018 को अपनी उक्त भूमि पर के.सी.सी. बनवाने हेतू पटवारी हल्का के पास नकल लेने गये तब पटवारी हल्का ने बताया कि वादीगण के नाम उक्त भूमि का खातेदारी इन्द्राज नहीं होकर प्रतिवादीगण के नाम अंकित है। इस पर वादीगण ने अपनी खरीद शुदा भूमि होना बताया तो पटवारी

❖ हल्का ने इसे दुरूस्त करवाने हेतू कहा तब वादीगण ने साबिक दस्तावेजात की नकले निकलवाई तब पूर्ण जानकारी हुई कि सेटिलमेन्ट विभाग वालो की गलती से गलत खातेदारी इन्द्राजात हो गये है। इसलिए वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वो माननीय न्यायालय से सेटिलमेन्ट विभाग वालो के द्वारा की गई इस गलती को दुरुस्त करवाये तथा घोषणा करवाये कि वादीगण उक्त विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने के अधिकारी है कि वो अपने नाम हुऐ गलत खातेदारी इन्द्राजात का नाजाइज फायदा उठाकर किसी अन्य को रहन बेचान या मुन्तकिल नहीं करे। बस यही बिनाए दावा पैदा होकर दावा करना लाजिम आया। बिनाए दावा दिनांक 10.11.2018 को अन्दर हदूद अदालते वाला पैदा होकर दावा करना लाजिम आया।

उपखण्ड अधिकारी न्यायालय चौथ का बरवाड़ा सत्यमेव जयते

❖ उक्त आराजी प्रतिवादी नं० 8 व 91 के यहां रहन होने एवं प्रतिवादी नं0 10 लेण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाये गये है।

❖ वादीगण प्रार्थी है कि दावा वादीगण बखिलाफ प्रतिवादीगण इस प्रकार डिकी फरमाया जावे कि:-

➢ घोषणा इस अमर की फरमाई जावे कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 38 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम झरकुण्ड (नाहरी खुर्द) तहसील चौथ का बरवाड़ा के बने नवीन खसरा नम्बर 151 रकबा 0. 67 है0 के वादीगण खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व रिकार्ड में अपने नाम अंकन करवाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.30 12:35:05 IST
Reason: SelfAttested

➢ साबिक खसरा नम्बर 38 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा के बने नवीन खसरा नम्बर 151 रकबा 0.67 है० वाके ग्राम झरकुण्ड (नाहरी खुर्द) से प्रतिवादी

Vgem
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

नं० 1 लगायत 7 का नाम हजफ किया जाकर वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड एवं रिकार्ड ऑफ राईटस में अंकन फरमाया जावे।

- प्रतिवादी नं० 1 लगायत 7 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वो नवीन खसरा नम्बर 151 रकबा 0.67 है० वाके ग्राम झरकुण्ड (नाहरी खुर्द) के हुऐ गलत खातेदारी इन्द्राजात का नाजायज फायदा उठाकर किसी अन्य को रहन, बेचान या मुन्तकिल नहीं करे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम प्रतिवादीगण जारी किये जाकर उनकी न्यायालय हाजा में तलब किया गया।
3. वादीगण एवं प्रतिवादीगणों कीएक राजीनामा इस अमर प्रस्तुत किया है कि–

- हम पक्षकारान के मध्य आपस में लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। मुताबिक राजीनामा साबिक खसरा नंबर 38 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा के नवीन खसरा नंबर 151 रकबा 0.67 है0 वाके ग्राम नाहरीखुर्द मय झरकुण्ड, तहसील चौथ का बरवाड़ा का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन फरमाया जावे।
- आराजी खसरा नंबर 151 रकबा 0.67 है0 वाके ग्राम नाहरीखुर्द मय झरकुण्ड, तहसील चौथ का बरवाड़ा से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 का नाम हजफ किया फरमाया जाकर वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन फरमाया जावे। उक्त भूमि बैंक के रहने होने से रहन राशि का भुगतान प्रविवादी संख्या 1 लगायत 7 द्वारा अदा किया जावेगा।
- अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा वादीगण का वादपत्र डिक्री फरमाये जाने की कृपा करें।

4. प्रकरण में वकील वादीगण बहस सुनी। दौराने बहस वकील वादीगण ने वादपत्र एवं राजीनामे में अंकित कथनों का दोहरान किया। हमने उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामें एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं तथ्यों का मनन किया। प्रकरण में उभयपक्षों के बीच राजीनामा हो चुका है, जिसके अनुसार आराजी खसरा नंबर 151 रकबा 0.67 है0 वाके ग्राम वाके ग्राम नाहरीखुर्द मय झरकुण्ड, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर का राजस्व रिकॉर्ड एवं रिकॉर्ड ऑफ राईटस में अंकन करने मे हम पक्षकारान को कोई आपत्ति नहीं है तथा इसी प्रकार का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। परन्तु वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा बैंक का ऋण अदा नहीं किया है। इस संबंध में दौराने बहस वकील वादीगण द्वारा दौराने बहस अवगत कराया है कि खसरा नंबर 151 रकबा 0.67 है0 का सम्पूर्ण बकाया ऋण वे स्वयं अदा कर देंगें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.30 12:35:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

5. उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार शुद्धी किया जाना उचित समझता हूं।

–:आदेश:–

वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि वे ग्राम नाहरीखुर्द मय झरकुण्ड, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर के खसरा नंबर 151 रकबा 0.67 है0 से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 का नाम हजफ कर वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करे। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे खसरा नंबर 151 रकबा 0.67 है0 में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से व्यवधान उत्पन्न न करे। न्याय को दृष्टिगत करते हुए वादीगण को आदेशित किया जाता है कि वे ग्राम नाहरीखुर्द मय झरकुण्ड, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर के खसरा नंबर 151 रकबा 0.67 है0 की रहन राशि का भुगतान संबंधित बैंक का अदा कर बैंक का नो–ड्यूज न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करे। संबंधित बैंक को भी आदेशित किया जाता है कि वह ग्राम नाहरीखुर्द मय झरकुण्ड, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर के खसरा नंबर 151 रकबा 0.67 है0 की रहन राशि वादीगण से प्राप्त कर इस न्यायालय को अवगत करावें। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 29.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा सत्यमेव जयते

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.30 12:35:05 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

नाम न्यायालय <u>उपखण्ड अधिकारी</u> स्थान <u>चौथ का बरवाडा</u>

1. मुकेश पुत्र श्योजीनाथ जाति नाथ
2. बत्तीलाल पुत्र श्योजीनाथ जाति नाथ
3. भरतलाल पुत्र श्योजीनाथ जाति नाथ
4. मोसमी पुत्री श्योजीनाथ जाति नाथ
5. नारंगी पुत्री श्योजीनाथ जाति नाथ
6. जलेबी पुत्री श्योजीनाथ जाति नाथ
7. रूकमणी पत्नि स्व0 श्योजीनाथ जाति नाथ
   निवासीयान झोपड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

बनाम

1. महावीर पुत्र मीठालाल नाबालिग जरिये माता मौसमी पत्नि मीठालाल मीना
2. मंजू पुत्री मीठालाल मीना
3. मोसमी पत्नि स्व0 मीठालाल मीना
4. तुलसीराम पुत्र मोहनलाल मीना
5. जैराम पुत्र मोती मीना
6. सीताराम पुत्र मोहनलाल मीना
   समस्त निवासीयान झोपड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
7. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा सवाई माधोपुर जरिये शाखा प्रबंधक सवाई माधोपुर।
8. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा चौथ का बरवाड़ा जरिये शाखा प्रबंधक चौथ का बरवाड़ा।
9. सरकार जरिये तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

<u>नम्बर मुकदमा 03 सन् 2019</u>

<u>दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0 एक्ट</u>

वादीगण की ओर से **श्री अब्दुल वहाब, एडवोकेट** एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 7 स्वयं की उपस्थिति में इस वाद के आज ता0 29.12.2025 को **श्री जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस) के समक्ष अन्तिम निपटारें के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री जारी की जाती है** एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि वे ग्राम नाहरीखुर्द मय झरकुण्ड, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर के खसरा नंबर 151 रकबा 0.67 है0 से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 का नाम हजफ कर वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करे। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे खसरा नंबर 151 रकबा 0.67 है0 में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से व्यवधान उत्पन्न न करे। न्याय को दृष्टिगत करते हुए वादीगण को आदेशित किया जाता है कि वे ग्राम नाहरीखुर्द मय झरकुण्ड, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर के खसरा नंबर 151 रकबा 0.67 है0 की रहन राशि का भुगतान संबंधित बैंक का अदा कर बैंक का नो–ड्यूज न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करे। संबंधित बैंक को भी आदेशित किया जाता है कि वह ग्राम नाहरीखुर्द मय झरकुण्ड, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर के खसरा नंबर 151 रकबा 0.67 है0 की रहन राशि वादीगण से प्राप्त कर इस न्यायालय को अवगत करावें। पक्षकारान अपना खर्चा स्वयं वहन करे।

इस वाद के खर्चे लेखें **X** रूपया की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर **X** प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित **X** द्वारा **X** को दी जाए। यह आज तारीख 29.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

वाद के खर्चे

वादी		रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसे
1	वाद पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	
2	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	अर्जी के लिए स्टाम्प	00	
3	प्रदेशा के लिए स्टाम्प रू0 पर	00	00	प्लीडर की फीस	00	
4	प्लीडर की फीस	00	00	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	
5	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	आदेशिका की तामील	00	
6	कमिश्नर की फीस	00	00	कमिश्नर की फीस	00	
7	आदेशिका की तामील	00	00			
	जोड	00	00	जोड	00	00

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.30 12:35:05 IST
Reason: SelfAttested

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)